रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259789 CG-DL-E-01012025-259789

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5224] No. 5224]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2024/पौष 10, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2024/PAUSHA 10, 1946

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2024 सं. 46/2024–25

विषयः आइटीसी (एचएस) 2022, अनुस्ची—1 (आयात नीति) के अध्याय 28 के अंतर्गत शामिल सोडा एश के आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआइपी) लगाने के संबंध में।

का.आ. 5644(अ)—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1. 02 और 2.01 के साथ पिठत, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पिठत धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची—1 (आयात नीति) के अध्याय 28 के अंतर्गत शामिल निम्निलखित आइटीसी (एचएस) कोड की आयात नीति और आयात नीतिगत शर्त को 30 जून, 2025 तक निम्नानुसार संशोधित करती है।

धित नीतिगत शर्त
गिआइएफ मूल्य रु.
ग इससे अधिक प्रति

8484 GI/2024 (1)

					मीट्रिक टन पर आयात 'मुक्त' है।
28362020	– डाइसोडियम कार्बोनेट, हल्का	मुक्त	प्रतिबंधित	1	तथापि, सीआइएफ मूल्य रु. 20,108 या इससे अधिक प्रति मीट्रिक टन पर आयात 'मुक्त' है।
28362090	–अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित	1	तथापि, सीआइएफ मूल्य रु. 20,108 या इससे अधिक प्रति मीट्रिक टन पर आयात 'मुक्त' है।

2. मौजूदा 'मुक्त' आयात नीति जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले की है, 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी, जब तक कि बाद की अधिसूचना द्वारा स्पष्ट रुप से संशोधित न किया जाए।

# अधिसूचना का प्रभावः

आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची—I आयात नीति के अध्याय 28 के तहत शामिल डाइसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश), पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) 20,108 रु. प्रति मीट्रिक टन 30 जून, 2025 तक लगाया गया है।

यह वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

[फा. सं. 01 / 89 / 180 / 04 / एएम-24 / पीसी-2(ए) / ई-39595]

संतोष कुमार सारंगी महानिदेशक,विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce) (Directorate General of Foreign Trade)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December 2024

## No. 46 /2024-25

Subject: Imposition of Minimum Import Price (MIP) on import of Soda Ash covered under Chapter 28 of ITC (HS) 2022, Schedule –I (Import Policy) –regarding.

**S.O. 5644** (E): In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby revises the Import Policy and Import Policy Condition of the following ITC(HS) Codes covered under Chapter 28 of ITC (HS) 2022, Schedule–I (Import Policy), **up to 30**<sup>th</sup> **June 2025**, as under:

ITC(HS) Code	Item Description	Existing Import Policy	Revised Import Policy	Existing Policy condition	Revised Policy condition
	- Disodium carbonate, dense	Free	Restricted		However, import is 'Free' if CIF value is Rs. 20,108 or above per MT

	- Disodium carbonate, light	Free	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is Rs. 20,108 or above per MT
28362090	- Other	Free	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is Rs. 20,108 or above per MT

2. The existing 'Free' Import Policy, as it stands prior to the issuance of this Notification, shall be in effect starting from 1<sup>st</sup> July 2025, unless expressly amended by subsequent notification.

## **Effect of the Notification:**

Minimum Import Price (MIP) of Rs. 20,108 per MT is imposed on Disodium Carbonate (Soda Ash) covered under Chapter 28 of ITC (HS) 2022, Schedule–I (Import Policy), up to 30<sup>th</sup> June 2025.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No. 01/89/180/04/AM-24/PC-2[A]/E-39595]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.